न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 96/2021

1. सन्तलाल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी मलसीसर त0 भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

1. चिरंजीलाल उर्फ निरंजनलाल दत्तक पुत्र ताराचन्द जाति महाजन निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. सब रजिस्ट्रार भादरा।

- अप्रार्थी

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचंद शर्मा- प्रार्थी

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी- अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 18-01-2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 322 के खसरा नं0 31 की 1.5930है0 व खसरा नं0 33 की 4.3630है0, खसरा नं0 87 की 2.5040है0, खसरा नं0 89 की 6.0450है0 कुल रकबा 14.5050है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाता की भूमि है।

उक्त वर्णित वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है प्रार्थी उक्त भूमि के खसरा सं0 87 व 89 के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण अपने हिस्सा की भूमि काश्त करता है। अप्रार्थी सं0 1 खसरा नं0 33 को व कुछ भाग खसरा सं0 31 की भूमि काश्त करता है व प्रतिवादी सं0 2 खसरा सं0 31 व 87, 89 के पश्चिम भाग की भूमि काश्त करता है। परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य काश्त व लगान की बावत आपस में तनाजा रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती बिना विभाजन करवाए अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर संयुक्त खाता की अच्छी किस्म की भूमि पर प्रभावशाली अजनबी व्यक्ति को काबिज करवाना चाहता है। व वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमदा है यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिस्सा से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

अत : प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि का काफी वर्षो पहले अच्छी व मंदी के हिसाब से वाहनी बंटवारा हो गया था जिसमें पक्षकारान के अलग अलग खेत बने हुए है तथा उनकी अलग अलग सींव डोल भी बनी हुई है। प्रार्थी वादभूमि का अब किसी भी प्रकार से अच्छी मंदी के हिस्सा से जोत विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी को अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एंव हस्तातरण आदि करने के पूर्ण अधिकार है। कानूनन सहखातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करवाने के किसी भी प्रकार का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 322 के खसरा नं0 31 की 1.5930है0 व खसरा नं0 33

Scanned with CamScanner

की 4.3630है0, खसरा नं0 87 की 2.5040है0, खसरा नं0 89 की 6.0450है0 कुल रकबा 14.5050है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाता की भूमि है प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती बिना विभाजन करवाए अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर संयुक्त खाता की अच्छी किस्म की भूमि पर प्रभावशाली अजनबी व्यक्ति को काबिज करवाना चाहता है। व वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमदा है यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि वादभूमि का काफी अर्सा पूर्व में अच्छी व मंदी के हिसाब से बाहमी बंटवारा हो गया था जिसमें पक्षकारान के अलग अलग खेत बने हुये है तथा उनकी अलग अलग सीव व डोल भी बनी हुई है। प्रार्थी वादभूमि का अब किसी प्रकार से अच्छी व मंदी के हिसाब से जोत विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी घोषणा के दावा के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी ने अपने दावा व दरख्वास्त में किसी भी प्रकार का कोई घोषणात्मक अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिजी है इस हेतु वकील अप्रार्थी ने आरआरटी 2018(1) पेज न0 407 उछाब कंवर बनाम स्टेट आदि, आरआरटी 2018(1) पेज न0 405 घांसीलाल बनाम रामभरोसे आदि की नजीरें पेश की। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि संयुक्त खाता की भूमि पर सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, ऐसी स्थिति में सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वकील अप्रार्थी ने हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**- प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वाद भूमि का सह खातेदार है तथा उक्त वादभूमि में प्रत्येक किला, मुरब्बा में काश्त करता है। प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी का भी उतना ही हिस्सा वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अप्रार्थी को अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने के पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार उक्त वादभूमि में अप्रार्थी चिरंजीलाल उर्फ निरंजनलाल अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार है अप्रार्थी को अपने हिस्सानुसार अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने में प्रार्थी को कोई दुविधा प्रकट नहीं होती है। चुंकि अप्रार्थी के साथ साथ अन्य सहखातेदार काश्तकार भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिन्हे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पक्षकार नहीं बनाया गया। जिससे प्रतीत होता है प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर महज अप्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग करने से वंचित करने के आशय से आवेदन पत्र अस्थाई निषाधाज्ञा पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खिलाफ व अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन** – अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नही। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण

Scanned with CamScanner

अधिकार हासिल है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी घोषणा के दावा के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी ने अपने दावा व दरख्वास्त में किसी भी प्रकार का कोई घोषणात्मक अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिससे प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, क्योंकि संयुक्त भूमि पर सभी राह खातेदारों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में सह खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है अप्रार्थी रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार है व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया साबित नही पाया जाता है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के दूसरे व तीसरे बिन्दु सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का प्रथम दृष्टया साबित नहीं होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner